

पत्र संख्या : ७ब/४७०१ यो०ज०सं०-१३/२०१२ - ५०

झारखण्ड सरकार
जल संसाधन विभाग

प्रेषक,

एस० के० शतपथी,
प्रधान सचिव।

सेवा में,

मुख्य अभियंता, मेदिनीनगर / हजारीबाग / अग्रिम योजना, राँची;
संबंधित अधीक्षण अभियंता / संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी;
जल संसाधन विभाग, झारखण्ड।

राँची, दिनांक: ११ - ८. १२

विषय :- मॉग संख्या-४९-जल संसाधन विभाग के अन्तर्गत मुख्य शीर्ष-४७०१-मध्यम सिंचाई पर पूँजीगत परिव्यय, उप-मुख्य शीर्ष-८०-सामान्य, लघु शीर्ष-८००-अन्य व्यय, उप शीर्ष-६७-सर्वेक्षण एवं अनुसंधान परामर्श एवं मूल्यांकण, विस्तृत शीर्ष-०७-अन्य व्यय ५९ अन्य व्यय, विपत्र कोड-४९P470180800670759 के अन्तर्गत व्यय हेतु वित्तीय वर्ष २०१२-१३ में निधि का आवंटन।

महाशय,

वित्तीय वर्ष २०१२-१३ में बजट मुख्य शीर्ष ४७०१-मध्यम सिंचाई पर पूँजी परिव्यय के अंतर्गत परिशिष्ट-१ में दर्शाये गये लघु शीर्ष/उप शीर्ष के अधीन अंकित कार्यालय को व्यय हेतु आवंटन संसूचित किया जाता है :-

| क्र० | मॉग संख्या/मुख्य शीर्ष/उप मुख्य शीर्ष | लघु शीर्ष/उप शीर्ष | विस्तृत शीर्ष/विपत्र कोड | कुल आवंटन (लाख रु. में) |
|------|--|---|--|-------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | 49-जल संसाधन विभाग / ४७०१-मध्यम सिंचाई पर पूँजीगत परिव्यय / ८०-सामान्य | ८००-अन्य व्यय / ६७-सर्वेक्षण एवं अनुसंधान परामर्श एवं मूल्यांकण | ०७-अन्य व्यय ५९ अन्य व्यय, 49P470180800670759 | 10.10 |

आवंटित राशि – ₹ दस लाख दस हजार मात्र।

- आवंटित राशि वर्ष २०१२-१३ के बजट उपबंध रु. १७५.०० लाख (एक करोड़ पचहत्तर लाख) मात्र के अंतर्गत है।
- आवंटित राशि के निकासी की प्रक्रिया एवं शर्तें वित्त विभागीय स्थायी अनुदेश का पत्रांक २५६१ वि. (२) दिनांक १७.०४.९८ एवं १८०० (वि.) दि. १५.०७.२००३ के आलोक में होगा।
- आवंटित राशि का व्यय प्रशासनिक स्वीकृति एवं तकनीकी स्वीकृति के अंतर्गत परिशिष्ट १ पर वर्णित कार्यों के अनुरूप किया जायेगा।
- संबंधित अधीक्षण अभियंता एवं मुख्य अभियंता अपने परिक्षेत्राधीन कार्यों की भौतिक एवं वित्तीय समीक्षा स्वयं करेंगे एवं यह सुनिश्चित करेंगे कि व्यय निर्धारित नियमों के अनुरूप हो।
- राशि की निकासी के पूर्व संबंधित विपत्र/चेक पर निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा इस प्रसंगाधीन आवंटन आदेश की संख्या एवं तिथि का उल्लेख करना होगा, जिसके आधार पर संबंधित विपत्र/चेक में निहित राशि की निकासी की जा रही है। साथ ही इस आशय का प्रमाण पत्र भी विपत्र/चेक पर अंकित करना होगा कि विपत्र में निहित राशि बजट उपबंध तथा आवंटित राशि के अधीन है और राशि की निकासी के लिए संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी स्वयं सक्षम पदाधिकारी है। प्रत्येक विपत्र/चेक के साथ संबंधित आवंटन आदेश की अभिप्रमाणित प्रति निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा अनिवार्य रूप से संलग्न की जायेगी।
- सरकारी नियम/अधिनियम यथा वन संरक्षण अधिनियम १९८० आदि का उल्लंघन नहीं हो यह सुनिश्चित किया जाय।
- राशि की निकासी कर उसे चालू/बचत खाता में नहीं रखा जाय।

सुरेश प्रसाद भगत
सहायक अभियंता

(जयप्रकाश भट्टाचार्य)
उप सचिव (अभि.)

सुबोध कुमार सिन्हा
संयुक्त सचिव (अभि.)

(बी. सी. निगम)
विशेष सचिव

9. आवंटित राशि से दायित्व का भुगतान या अन्य मद में व्यय बिना अनुमति के नहीं किया जाय।
10. जिस शीर्ष के अंतर्गत उपर्युक्त राशि आवंटित की जा रही है, निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी उसी शीर्ष के अंतर्गत भारित करेंगे। प्रत्येक निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी पूर्णतः सुनिश्चित हो लेंगे कि इकाईवार व्यय की सीमा किसी भी परिस्थिति में संबंधित इकाई के अंतर्गत आवंटित राशि से अधिक नहीं हो, अन्यथा अधिकाई व्यय की पूरी जवाबदेही संबंधित पदाधिकारी पर होगी।
11. बिहार वित्तीय नियमावली (भाग-1) के नियम 473 एवं 475 में विहित निदेश/वित्तीय नियमावली बजट मैनुअल/सचिवालय अनुदेश तथा अन्य सुसंगत अभिलेखों में विहित प्रावधानों तथा राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर निर्गत अनुदेशों का दृढ़तापूर्वक अनुपालन किया जाना संबंधित मुख्य अभियंता/अधीक्षण अभियंता/कार्यपालक अभियंता का दायित्व होगा।
12. प्रत्येक निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी संबंधित शीर्षान्तर्गत हुए व्यय का सत्यापन नियमानुसार त्रैमासिक रूप से महालेखाकार रॉची के साथ निश्चित रूप से कराते रहेंगे तथा व्यय प्रतिवेदन एवं सत्यापन विवरणी विभाग को समर्पित करेंगे।
13. विभिन्न इकाई मदों में आवंटित राशि से यदि राशि बच जाती है तो उसका इकाईवार प्रत्यर्पण 31 जनवरी 2013 तक निश्चित रूप से कर देंगे।

नोट : यह आवंटनादेश जल संसाधन विभाग के वेब साईट (<http://www.wrdjharkhand.nic.in>) पर भी उपलब्ध है।

अनुलग्नक—यथोक्त।

१।

(एस० के० शतपथी)
प्रधान सचिव

ज्ञापांक :— ७०

रॉची, दिनांक :-

।। - ८ - ।२

प्रतिलिपि :— महालेखाकार (लेखा एवं हक.) झारखण्ड पो. — हिनू रॉची/कोषागार पदाधिकारी, रॉची/डोरण्डा/मेदिनीनगर/हजारीबाग/बोकारो/गढ़वा सहित राज्य के सभी कोषागार एवं उपकोषागार पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनुलग्नक—यथोक्त।

२।

(एस० के० शतपथी)
प्रधान सचिव

ज्ञापांक :—

५०

रॉची, दिनांक :-

।। - ८ - ।२

प्रतिलिपि :— प्रधान सचिव, वित्त विभाग/संबंधित प्रमंडलीय आयुक्त/संबंधित उपायुक्त, /सचिव, योजना एवं विकास विभाग/माननीय मंत्री के आप्त सचिव, जल संसाधन विभाग/आंतरिक वित्तीय सलाहकार जल संसाधन विभाग/मुख्य अभियंता (मो.) रॉची/अभियंता प्रमुख —I एवं II जल संसाधन विभाग /संयुक्त सचिव (अभि०)/उप सचिव (अभि०) जल संसाधन विभाग को पाँच प्रति/प्रशाखा-7 को दस अतिरिक्त प्रतियों में/सांख्यिकी पदाधिकारी जल संसाधन विभाग/ प्रधान सचिव के सचिव, जल संसाधन विभाग, झारखण्ड, रॉची/वेब सूचना प्रबंधक, जल संसाधन विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनुलग्नक—यथोक्त।

(सुरेश प्रसाद भगत)
सहायक अभियंता

(जयप्रकाश भट्टाचार्या)
उप सचिव (अभि०)

(सुबोध कुमार सिन्हा)
संयुक्त सचिव (अभि०)

(बी. सी. निगम)
विशेष सचिव

(एस० के० शतपथी)
प्रधान सचिव

३।

मोग संख्या-49-जल संसाधन विभाग,
मुख्य शीर्ष-4701-मध्यम रिचार्ड पर पूँजीगत परिव्यय,
उप-मुख्य शीर्ष-80-सामान्य,
लघु शीर्ष-800-अन्य व्यय,

उप शीर्ष-67-सर्वेक्षण एवं अनुसंधान परामर्श एवं मूल्यांकण,

विस्तृत शीर्ष-07-अन्य व्यय, 59 अन्य व्यय, 49P470180800670759

वितीय वर्ष 2012-13 में बजट उपबंध 175.00 लाख (एक करोड़ पचहतार लाख) रूपये मात्र।

(राशि लाख ₹ में)

| क्र. | प्रमङ्गल का नाम | मुख्य अभियंता | योजना का नाम | | प्रशासनिक स्वीकृति का प्रसंग | नार्द 2012 तक का वितीय वर्ष 2012-13 में आवंतन | आव्युक्ति | | |
|------|--------------------------------|---------------|--|------|------------------------------|---|--|---|----|
| | | | स्वसंग | राशि | व्यय | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | अग्रिम योजना प्रमङ्गल, पलामु | अग्रिम योजना | 0.00 | 0.00 | 5.50 | 5.50 | 7 अद्व पुराने डी०पी०आर० को अद्यतन कर नया डी०पी०आर० तैयार करना | | |
| 2 | जलपथ प्रमङ्गल, बरही | | 0.00 | 0.00 | 0.60 | 0.60 | बक्सा जलाशय योजना के पुनर्स्थापन कार्य हेतु डी०पी०आर० तैयार करना | | |
| 3 | तेजुधाट बांध प्रमङ्गल, तेजुधाट | हजारीबाग | 0.00 | 0.00 | 1.10 | 1.10 | पवहे बराज योजना के पुनर्स्थापन कार्य हेतु डी०पी०आर० तैयार करना | | |
| 4 | जलपथ प्रमङ्गल, हजारीबाग | | 350.00 | 0.00 | 0.25 | 0.25 | बोधा जलाशय योजना के पुनर्स्थापन कार्य हेतु डी०पी०आर० तैयार करना | | |
| 5 | जलपथ प्रमङ्गल, गढवा | मेदिनीनगर | 0.00 | 0.00 | 1.10 | 1.10 | अन्नराज जलाशय योजना के पुनर्स्थापन हेतु डी०पी०आर० तैयार करना | | |
| | | | 0.00 | 0.00 | 0.30 | 0.30 | विरका जलाशय योजना के पुनर्स्थापन हेतु डी०पी०आर० तैयार करना | | |
| | | | 0.00 | 0.00 | 1.25 | 1.25 | बंगी बौकी जलाशय योजना के पुनर्स्थापन हेतु डी०पी०आर० तैयार करना | | |
| | | | कुल योग | 0.00 | 0.00 | 10.10 | 10.10 | | |
| | | | आवृत्ति राशि - ₹ दस लाख दस हजार मात्र। | | | | | | |

11.6.1
(सुरेश प्रसाद भगत)
सहायक अभियंता

G
(जयप्रकाश भट्टाचार्य)
उप सचिव (अभिः)

M
(सुबोध कुमार सिन्हा)
संयुक्त सचिव (अभिः)

M
(बी. सी. निगम)
विशेष सचिव

M
(एस० कौशल शतपथी)
प्रधान सचिव